प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया हैं।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था राजस्थान सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई है।

- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग' पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता हैं।

- निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षो और सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।